प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 13.12.2025

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी करने वाले 02 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 13.12.2025 को वादी श्री इरफान निवासी विजयनगर मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा थाना मोदीनगर पर एक सूचना दी गई कि 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के गैराज में घुसकर चोरी करने के सम्बन्ध में जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्तों 1. शादाब पुत्र इन्तजार निवासी किदवईनगर थाना मोदीनगर कमि0 गाजियाबाद 2.आसिफ पुत्र जफर उर्फ जफरू निवासी ग्राम धौलडी थाना जानी जिला मेरठ को मौके से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से जनपद मेरठ से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर धारा-305/62/317(2),331(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगणों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों यहां गैराज का सामान चोरी करने आए थे। हम दोनों गैराज के बाहर खड़े एक आदमी को देखकर डर गए तथा गैराज से भागने लगे लेकिन जब हमें गैराज से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला तो हम लोग छिपने के लिए गैराज के कमरे में घूस गए तभी आप लोग आ गए और हमें पकड़ लिया। जामातलाशी में मिली चाबी से सम्बन्धित पूछताछ की गयी तो दोनों ने बताया कि हम लोग 01 मोटरसाइकिल से चोरी करने आये थे जिसको हमने बाहर खडा कर दिया था। बरामदा मोटरसाइकिल हमने दिल्ली रोड पर स्थित एक कालेज के बाहर से जनपद मेरठ से चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1.शादाब पुत्र इन्तजार निवासी किदवईनगर थाना मोदीनगर कमि0 गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष
2.आसिफ पुत्र जफर उर्फ जफरू निवासी ग्राम धौलडी थाना जानी जिला मेरठ, उम्र करीब 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है व थाना परतापुर मेरठ में चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा बैंक से धन का गबन करने की घटना कारित करने वाले बैंककर्मी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 21.11.2025 को थाना निवाडी पर वादी / शाखा प्रबंधक पंजाब एण्ड सिंध बैंक पतला द्वारा तहरीर दी गई कि ग्राहक सेवा सहयोगी पंजाब एण्ड सिंध बैंक पतला अभियुक्त सोमिल तिवारी पुत्र प्रदीप तिवारी निवासी कैलाश विहार आवास विकास नम्बर-1 थाना कल्याणपुर जनपद कानपुर नगर द्वारा बैंक खाता धारकों कि बिना जानकारी के फर्जी तरीके से आरटीजीएस व लूज चेक के माध्यम से कुल 64,87,442 रूपये निकाल लेना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर तत्काल सुंसगत धारा-316(5)/61(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 13.12.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त सोमिल तिवारी पुत्र प्रदीप तिवारी निवासी कैलाश विहार आवास विकास नम्बर-1 थाना कल्याणपुर जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 29 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं शेयर बाजार में ट्रेडिंग करता था जिसमें मुझे काफी पैसों का नुकसान हो गया था। मैंने एक फर्जी खाता अपने जानकार के नाम खुलवाकर बैंक खाता धारकों के धन को फर्जी तरीके से अपने जानकार के खाते में धनराशि जमा करने के उपरांत उक्त धनराशि को निकालकर फिर शेयर बाजार की ट्रेडिंग में लगा दिये और उन रूपयों को भी हार गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोमिल तिवारी पुत्र प्रदीप तिवारी निवासी कैलाश विहार आवास विकास नम्बर-1 थाना कल्याणपुर जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 29 वर्ष ।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना निवाडी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा शातिर वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 13.12.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर शातिर वाहन चोर अभियुक्त सोनू पुत्र स्व0 चन्दन थापा निवासी चौकी वाली गली सुधीर एन्कलेव रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल हीरो स्पलेन्डर प्लस बरामद हुई, उपरोक्त मोटरसाइकिल की चोरी के सम्बन्ध में ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट दिल्ली में मुकदमा पंजीकृत है। उक्त चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा- 317(2),317(5) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया है, अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं पहले दिल्ली एनसीआर में घूमफिर कर रैकी करता हूँ तथा मौका पाकर मोटरसाइकिल आदि वाहन चोरी कर लेता हूँ, मैं अधिकांश फैक्ट्री एरिया व घनी आबादी के आसपास के क्षेत्रों से दुपहिया वाहनों की चोरी करता हूँ जिनको ले जाकर घनी झाड़ियां में छिपा देता हूँ और मौका देखकर वाहन को दिल्ली कबाडी बाजार में बेच देता हूँ और मिले पैसे से अपने शौक पूरा करता हूँ, मुझसे जो मोटरसाइकिल बरामद हुयी है वह मैंने दिल्ली से चोरी की थी, आज मौका देखकर इसको बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोनू पुत्र स्व0 चन्दन थापा निवासी चौकी वाली गली सुधीर एन्कलेव रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा दिल्ली में मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटरसाइकिल हीरो स्पलेन्डर प्लस बरामद।

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

05 अभियुक्तों को जिला बदर किये जाने के सम्बन्ध में

कमिश्नरेट गाजियाबाद में इस सप्ताह दिनांक 11.12.2025 को न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/यातायात कमिश्नरेट गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत सुनवाई के उपरान्त झपटमारी/ चोरी करने व चोरी//झपटमारी का माल बरामद होना, अवैध हथियार रखना, हत्या का प्रयत्न/ आपराधिक मानव वध करने, लोक सेवक के सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना, मारपीट करने, स्वेच्छा से चोट/ गम्भीर चोट पहुचाने, गाली- गलौच करना व जान से मारने की धमकी देने, रिष्टि कारित करने जैसे सम्बन्धी आदि अपराधों में लिप्त निम्नलिखित 05 विपक्षी/ अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। निम्नांकित अभियुक्तों/गुण्डों द्वारा उपरोक्त अपराध शीर्षक में लिप्त होने के उपरान्त जनता में इनका इतना भय

व्याप्त है कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध कोई रिपोर्ट पंजीकृत कराने व साक्ष्य देने का साहस नहीं जुटा पाता है। इनके जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) हो जाने के उपरान्त आम-जनमानस में भयमुक्त, अपराधमुक्त एवं शांति पूर्ण माहौल होने का विश्वास पैदा होगा :-

क्र0 सं0	वाद संख्या	थाना	विपक्षी का नाम व पता	आपराधिक इतिहास
1	231/2025	टीला मोड	अजीत माथुर पुत्र राम सिंह नि0 मौ0 कुटी कृष्णा विहार भौपुरा थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 123/2025 धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना शालीमार गार्डन, 2. मु0अ0सं0 111/2025 धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना शालीमार गार्डन, 3. मु0अ0सं0 097/2025 धारा 303(2),317(2),3(5) बीएनएस थाना शालीमार गार्डन,
2	243/2025	विजयनगर	केतन कुमार यादव उर्फ हप्पी यादव पुत्र कैलाश चन्द्र निवासी जी 253 ए सै0 11 प्रताप विहार थाना विजयनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 210/2019 धारा 147,323 भादवि थाना विजयनगर, 2. मु0अ0सं0 280/2019 धारा 147,148,323,352 भादवि थाना विजयनगर, 3. मु0अ0सं0 1065/2020 धारा 323,504,506 भादवि थाना विजयनगर, 4. मु0अ0सं0 248/2019 धारा 323,354,427,452,504,506 भादवि थाना कोतवाली, 5. मु0अ0सं0 145/2025 धारा 109,115(2),125,125(2),132,190,191(2),191(3), 351(2),352 बीएनएस व धारा 7 आपराधिक कानून (संसोधन) अधिनियम 1932 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर, 6. मु0अ0सं0 390/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना विजयनगर, 7. मु0अ0सं0 91/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मसूरी, 8. मु0अ0सं0 1291/2019 धारा 147,148,149,324 भादवि थाना विजयनगर, 9. मु0अ0सं0 1648/2021 धारा 147,148,307,323,427 भादवि थाना विजयनगर 10. मु0अ0सं0 530/2018 धारा 307,34 भादवि थाना विजयनगर
3	275/2025	नन्दग्राम	रवि उर्फ विश्राम पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम अटौर थाना नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 884/2022 धारा 427,506 भादवि थाना नन्दग्राम, 2. मु0अ0सं0 173/2023 धारा 324,352,504,506 भादवि थाना नन्दग्राम, 3. मु0अ0सं0 961/2023 धारा 323,352,504,506 भादवि थाना नन्दग्राम, 4. मु0अ0सं0 536/2024 धारा 304,506 भादवि थाना नन्दग्राम, जनपद गाजियाबाद
4	279/2025	अंकुर विहार	रामराज उर्फ राज पुत्र सतीश निवासी विकास नगर थाना अंकुर विहार, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 129/2025 धारा 317(2) बीएनएस थाना अंकुर विहार जनपद गाजियाबाद, 2. मु0अ0सं0 128/2025 धारा 303(2),317(2),3(5) बीएनएस थाना अंकुर विहार, 3. मु0अ0सं0 127/2025 धारा 304(2),317(2),3(5) बीएनएस थाना अंकुर विहार
5	283/2025	मुरादनगर	जतिन पुत्र सतेन्द्र, निवासी ग्राम भिक्कनपुर, थाना मुरादनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 140/2025 धारा 356(3),115(2),351(2),352 बीएनएस थाना मुरादनगर, 2. मु0अ0सं0 150/2025 धारा 115(2),351(3),352 बीएनएस थाना मुरादनगर, 3. मु0अ0सं0 688/2024 धारा 115(2),117(2),131,331(6),351(2),352 बीएनएस थाना मुरादनगर,

यह भी उल्लेखनीय है कि कमिश्नरेट गाजियाबाद में वर्ष-2025 में अब तक कुल 156-विपक्षी/अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) एवं 93- विपक्षी/अभियुक्तो को स्थानीय थाने में हाजिरी देने हेतु आदेशित किया गया है।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 12.12.2025 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त नरेश उर्फ हड्डी पुत्र भरत प्रसाद केशरी निवासी बडी मस्जिद के पास महाराजपुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद मूल पता ग्राम बिलासपुर थाना रामनगर जिला बेतया बिहार उम्र करीब 24 वर्ष को कौशाम्बी बस अड्डे के पीछे खाली स्थान के पास से 01 किलो 200 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त नरेश उर्फ हड्डी उपरोक्त के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त नरेश उर्फ हड्डी उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त बिहार का रहने वाला है और ग्राम महाराजपुर में किराये का कमरा लेकर रहता है। अभियुक्त नशा करने का आदी है तथा अपना खर्चा चलाने तथा शौक पूरे करने के लिए गांजा कम दामों पर दिल्ली से राह चलते-फिरते व्यक्तियों खरीदकर महाराजपुर में लाकर गांजे की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर अधिक कीमत पर आते-जाते लोगों को बेचता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नरेश उर्फ हड्डी पुत्र भरत प्रसाद केशरी निवासी बडी मस्जिद के पास महाराजपुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद मूल पता ग्राम बिलासपुर थाना रामनगर जिला बेतया बिहार उम्र करीब 24 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त नरेश उर्फ हड्डी उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

01 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा फर्जी प्लेसमेंट कंपनी चलाकर बेरोजगार युवक-युवतियों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुये 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 12.12.2025 को थाना सिहानी गेट पर आवेदक आशीष ठाकुर पुत्र श्री कुशलपाल सिंह राघव, निवासी मालीबाड़ा, थाना सिहानी गेट, गाजियाबाद एवं अन्य पीड़ित व्यक्तियों द्वारा लिखित तहरीर दी गई। तहरीर में बताया गया कि “RS हेल्थ केयर मैनेजमेंट मार्केटिंग प्रा0 लिमिटेड / यूनिक मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा0 लिमिटेड” के नाम से एक फर्जी प्लेसमेंट कंपनी संचालित कर नौकरी व ट्रेनिंग दिलाने के नाम पर षड्यंत्रपूर्वक फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग पीड़ितों से लगभग 30 लाख रुपये की धनराशि ठगी गई। न तो पीड़ितों को नौकरी दिलाई गई और न ही उनकी धनराशि वापस की गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिहानी गेट पर मु0अ0सं0 430/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दौरानें विवेचना दिनांक 13.12.2025 को पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए निम्न अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया—

अभियुक्तगण के नाम पते

1. रितेश शर्मा पुत्र प्रदीप शर्मा, निवासी भूड़ कॉलोनी, फरीदाबाद (हरियाणा), मूल निवासी जनपद सिवान, बिहार।

2. अमन पुत्र चन्दभूषण सिंह, निवासी भगवती गार्डन, जैन रोड, द्वारका मोड़, नई दिल्ली, मूल निवासी जनपद मोतिहारी, बिहार ।

पूछताछ का विवरण- प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बेरोजगार युवक-युवतियों को मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट व अन्य निजी कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर धनराशि वसूलने की बात प्रकाश में आई है। अन्य अभियुक्तों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है तथा आगे की वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस आमजन से अपील करती है कि नौकरी दिलाने के नाम पर किसी भी व्यक्ति/संस्था को धनराशि देने से पूर्व उसकी विधिवत जांच-पड़ताल अवश्य करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त रितेश के विरूद्ध पूर्व में दिल्ली के बुराडी थाना में मु0अ0सं0 0266/22 धारा 420, 34 भादवि पंजीकृत है ।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली टीम-

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम